भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 820

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा हेतु पर्यटन

820. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री गोडम नागेश:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा आयुष आधारित स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा हेतु पर्यटन (मेडिकल वैल्यू ट्रैवल) के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

सरकार ने दिनांक 27 जुलाई, 2023 को आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार कराने के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए आयुष वीज़ा की एक अलग श्रेणी शुरू की है। आयुष वीज़ा चार उप-श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध है, नामतः (i) आयुष वीज़ा (एवाई-1), (ii) आयुष परिचारक वीज़ा (एवाई-2), (iii) ई-आयुष वीज़ा और (iv) ई-आयुष परिचारक वीज़ा। आयुष वीज़ा उस विदेशी को दिया जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी संबंधित सरकारी प्राधिकरण (प्राधिकारियों) या अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)/ राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा मान्यता प्राप्त आयुष सेवाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत अस्पताल/आरोग्य केंद्र में चिकित्सीय देखभाल और आरोग्य जैसी आयुष पद्धतियों के माध्यम से उपचार प्राप्त करना है।

दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 4 फरवरी 2025 की अवधि के दौरान, 75 देशों के विदेशी नागरिकों को कुल 1,646 ई-आयुष और नियमित आयुष वीज़ा जारी किए गए हैं।

भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों को मेडिकल और आयुष वीज़ा पोर्टल पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकरण के लिए मानक संचालन क्रियापद्धतियां (एसओपी) बताई गई , जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रधान सचिव , स्वास्थ्य , सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव , पर्यटन सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक , आयुष,

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अध्यक्ष, फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) के अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) , और सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ), सभी आयुष चिकित्सकों के संघ , योग प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) , इन्वेस्ट इंडिया और आयुषएक्सिल शामिल हैं।

एमवीटी को और बढ़ावा देने तथा हितधारकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, सरकार ने दिनांक 30.09.2024 को मुंबई में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया, जिसका विषय था 'आयुष में वैश्विक तालमेल: मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन '। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के साथ एकीकृत करके एमवीटी में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना था।

****